


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
खाता / इन्चाज दुरुस्ती आवेदन पत्र / रिपोर्ट / आदेश / राज 0 मू राजस्थ अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत

सरबरक

प्रार्थना पत्र क्रमांक	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील	उपखण्ड / वाद शीर्षक	अग्रार्थीगण
1057	136	चतरशुज	कपासन	सीता देवी पुत्री रामा जाट	अग्रार्थीगण
दाखर दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या	आदेश	कार्यवाही दिवस
10/10/25	10.10.25				
आवेदन पत्र	पटवारी रिपोर्ट	गिरदावर रिपोर्ट	तहसीलदार रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन आदेश	
<p>निम्न उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन विषय - राजस्थ रिकार्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में खाने पटवारी के जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 7, 14, 15, 71, 72 के दुरुस्ती का आदेश करना है।</p>	<p>गुम 2074-2077 के हल्का के जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 7, 14, 15, 71, 72 सुमित्रा पुत्री रामा</p>	<p>रिपोर्ट पटवारी अनुसार खाता संख्या 7, 14, 15, 71, 72 सुमित्रा पुत्री रामा</p>	<p>रिपोर्ट पटवारी एवं गिरदावर अनुसार ग्राम चतरशुज की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 7, 14, 15, 71, 72 सुमित्रा पुत्री रामा</p>	<p>प्रार्थी व खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र अनुसार, रिपोर्ट पटवारी एवं जांच गिरदावर की अनुसंधान के आधार पर राजस्थ अधिनियम की धारा 136 के अधीन मौजा चतरशुज तहसील कपासन की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 7, 14, 15, 71, 72 में दर्ज प्रविष्टी को निम्नानुसार शुद्ध कर राजस्थ रिकार्ड में अमल परामर्श करने का आदेश दिया जाता है।</p>	
<p>72, सुमित्रा पुत्री रामा</p>	<p>72, सीता देवी पुत्री रामा</p>	<p>72, सीता देवी पुत्री रामा</p>	<p>72, सीता देवी पुत्री रामा</p>	<p>चतरशुज 7, 14, 15, 71, 72</p>	<p>सुमित्रा</p>
<p>दरज करवाने का आदेश करना है।</p>	<p>दरज किया जाना उचित होगा</p>	<p>दर्ज किया जाना उचित है।</p>	<p>दर्ज किया जाने की राजस्थ अनुसंधान की जांचर मुन पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित है।</p>	<p>वर्तमान प्रविष्टि (जशुद प्रविष्टि)</p>	<p>आदेश अनुसार प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)</p>
हस्ताक्षर प्रार्थी	हस्ताक्षर पटवारी या मोहर	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर तहसीलदार मंच मोहर		
सीता	<p>10/10/25</p>				



तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(समाधान अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिदिपी :- 1. तहसीलदार कपासन प्रार्थी